(30)

दाखिल-खारिज अभिलेख

अभिलेख संख्या 70/13-14 |

आवेदक श्री / श्रीमति सुरेश पंडित पिता सुकर पंडित मो काली देवी पति

पिता / पति सुरेश पंडित ग्राम हरिहरपुर थाना न० 367

थाना ——— जिला गिरिडीह के प्रतिवेदन पत्र के साथ केवाला फोटो-प्रति प्रस्तुत किया

जो निम्नांकित है

भूमि का विवरण

ग्राम	थाना न०	खाता न०	प्लोट न०	रकबा	लगान
खरसान	367	120 —	191 — 219	0.12½ डी०	1.00
		184 —	288 197		

अतएव आम इस्तेहार निर्गत करें, किसी को किसी तरह का आपत्ति हो तो अपना आपत्ति पत्र दिनांक ——— तक कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी साथ ही साथ हल्का कर्मचारी से जांच प्रतिवेदन मांगे।

अंचल अधिकारी
गांवां (गिरिडीह)

अभिलेख उपस्थापित किया गया। आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी प्रकार का आपत्ति पत्र प्राप्त नहीं हुआ। हल्का कर्मचारी का जांच प्रतिवेदन अ० नि० के माध्यम से प्राप्त हुआ, उनके द्वारा प्रतिवेदन किया गया है कि भूमि रैयती ——— है। बिक्रेता पर दादा के नाम से पंजी II के पृ० सं० 30/1 दो 223/1 में मांग चल रहा है। भूमि भूदान/वन सीमा/सैरात से बाहर है। भूमि क्रेता के दखल-कब्जा में है। हल्का कर्मचारी तथा अ० नि० द्वारा दाखिल-खारिज स्वीकृति की अनुशंसा किया है। अतः दा० खा० की ——— दी जाती है। शुद्धि पत्र निर्गत करें।

अंचल अधिकारी
गांवां (गिरिडीह)

शुद्धि पत्र निर्गत किया गया। हल्का कर्मचारी को दो प्रति शुद्धि पत्र दिया गया। पंजी II में अंकित एक प्रति कार्यालय में वापस करें।

शुद्धि पत्र प्राप्त
सुरेश पंडित